

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / प्रसाविका / ए-2 / भरतपुर-जोन / 2024 /

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (परीवीक्षाधीन) कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पत्र पर उनके नाम के सम्मुख अंकित असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री / सुश्री / श्रीमती)	पद	कार्यालय का नाम	असाधारण अवकाश की अवधी / कारण
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति सपना चौहान	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग	13.09.2021 से 25.09.2021 तक (कुल 13 दिवस)

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 08.08.2019, 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग करने पर असाधारण अवकाश में कार्मिक के परीवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / प्रसाविका / ए-2 / भरतपुर-जोन / 2024 / 40
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 20-02-2024

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5691255

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :20-02-2024 12:10:24